न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00398

1. श्रीमती नर्बदा बाई पत्नी स्व0 श्री किशन लाल जी (नाम तर्क) ।
2. मोहनी देवी पुत्री स्व0 श्री किशन लाल जी ।
3. पुष्पा देवी पुत्री स्व0 श्री किशन लाल जी जाति कोली निवासीगण ग्राम रावंठा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र स्व0 किशनलाल जाति कोली, निवासी ग्राम रावंठा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी शिवराज मीणा का मकान कच्ची बस्ती गोबरिया बावडी, कोटा ।
2. श्रीमती सुन्दर पुत्री स्व0 श्री पन्ना पत्नी सुखलाल जाति कोली निवासी नूरीबाई का चोक, कोलियों का मोहल्ला चमन होटल के पीछे नयापुरा, कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 02.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हरिपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 69 की रकबा 1.19 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी क्रम 01 के पति एवं वादिनी क्रम 02 व 3 एवं प्रतिवादी क्रम 01 के पिता श्री किशनलाल एवं भागचन्द के शामलाती खाते की भूमि थी । इससे पूर्व उक्त भूमि मोत्या बेवा पन्ना, सुनदर पुत्री पन्ना, भागचन्द, किशना पुत्रान धन्ना के खाते में दर्ज थी । भागचन्द जी आज से लगभग 65-70 वर्ष पूर्व लापता हो गये जो अविवाहित थे जिनके कोई संतान नहीं थी । वादग्रस्त आराजी वादिनी क्रम 1 के पति एवं वादिनी क्रम 02 व 3 एवं प्रतिवादी क्रम 01 के पिता किशनलाल जी एवं प्रतिवादी क्रम 01 के

पिता पन्ना जी उक्त सम्पूर्ण आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे थे । पन्ना जी की मृत्यु के उपरान्त उनके 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी कम 02 काबिज चली आ रही है तथा वादिनी कम 01 के पति एवं वादिनी कम 2 व 3 एवं प्रतिवादी कम 01 के पिता किशन लाल जी अपने एवं भागचन्द की आराजी अर्थात् सम्पूर्ण आराजी में से 1/2 हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं । सम्पूर्ण आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 01 प्रत्येक का 1/8 –1/8 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी विधिवत विभजन करवाये और विभाजन में प्राप्त भूमि को पृथक अपने नाम खाते में दर्ज करावे तथा पृथक लगान कायम करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर मजाहमत व मदाखलत नहीं करें ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/8 हिस्सा पृथक किया जाकर उन्हें उक्त भूमि का पृथक से खातेदार घोषित किया जाकर पृथक लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की आराजी पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और ताकत के बल पर उक्त भूमि से उन्हें बेदखल नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 01 व 2 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.05.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.05.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखा था और उसी दिन पटवारी हल्का से भागचन्द के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट जॉच करके पेश करने हेतु मांगी तथा पटवारी हल्का ने इस सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2018 को वहॉ पर बैठे–बैठे ही असत्य व गलत रिपोर्ट बनायी। उक्त रिपोर्ट का गलत मतलब निकालकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने पर अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा वादी कायमी तनकीयात में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की असत्य

रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वाद वादी कायमी तनकीयात में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2018 को अवलोकन किया गया । दिनांक 09.05.2018 के आदेश में यह अंकित किया गया है कि पटवारी हल्का से भागचन्द पुत्र धन्ना जाति कोली के बारे में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई । हल्का पटवारी द्वारा अवगत करवाया गया है कि ग्राम वासियों के द्वारा बताया गया है कि भागचन्द वर्तमान में मौजूद नहीं है उसकी अजमेर में मृत्यु हो चुकी है उसका परिवार वर्तमान में अजमेर में ही निवास करता है । भागचन्द 60–70 वर्ष पूर्व अजमेर चला गया था कभी कभार रिश्तेदार वगैरह की मृत्यु होने पर ग्राम रावंठा आता जाता था । पत्रावली पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 09.05.2018 संलग्न है ।

10. वादी के द्वारा यह दावा हक घोषणा एवं विभाजन का पेश किया गया है । यदि भागचन्द के वारिस पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मौजूद हैं तो उन्हें पक्षकार बनाया जाकर उनसे जवाबदावा प्राप्त कर इस प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है । लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में बिना सीपीसी की पालना के जो निर्णय पारित किया गया है वो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक भागचन्द के कायममुकामान को बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर उनको जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर, उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि 05.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा